



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 19 दिसम्बर, 2016 ई०

अग्रहायण 28, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 383/XXXVI (3)/2016/79(1)/2016

देहरादून, 19 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2016” पर दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 40 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

**उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन)
अधिनियम, 2016**
(अधिनियम संख्या 40, वर्ष 2016)

राजकोषीय समेकन के लिये 14वें वित्त आयोग द्वारा यथा अनुशंसित पुनरीक्षित रूपरेखा को लागू करने एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन प्रक्रिया को और पारदर्शी तथा व्यापक बनाने के लिए राजकोषीय लक्ष्यों में संशोधन करने हेतु उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो :-

1. संक्षिप्त नाम,

विस्तार एवं प्रारम्भ - (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, राजपत्र में इस निमित्त नियत करे।

2. मूल अधिनियम की

धारा 2 में संशोधन - धारा 2 की उपधारा (छ) के पश्चात् एक नई उपधारा (ज) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात्

“(ज) “ब्याज भुगतान” से अभिप्रेत है राज्य सरकार का आंतरिक ऋण, केन्द्र सरकार से राज्य सरकार द्वारा लिये गये कर्ज एवं अग्रिम एवं लोक लेखा में राज्य भविष्य निधि एवं अन्य दायित्व पर मूलधन की वापसी से भिन्न भुगतेय राशि।”

3. मूल अधिनियम की

धारा 4 में संशोधन - धारा 4 की उपधारा (3) का खण्ड (ग) निम्नलिखित प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा :-

“(ग) (1) वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 की अवधि में राज्य के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्यों और वार्षिक उधार सीमाओं का प्रतिज्ञापन निम्नवत् किया जाता है:-

- (i) राज्य का राजकोषीय घाटा जी०एस०डी०पी० (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) के 3 प्रतिशत की वार्षिक सीमा तक स्थिरता प्रदान करने वाला होगा। राज्य इससे अधिक की सीमा के लिए किसी भी वर्ष में, जिसके लिए उधार सीमाएं नियत की जानी है, यदि उसका ऋण— जी०एस०डी०पी० अनुपात उसके पिछले वर्ष में 25 प्रतिशत से कम या उसके बराबर है, 0.25 प्रतिशत की लोचनीयता व उदारता के लिए पात्र होगा।
- (ii) राज्य उक्त वर्ष में जिसके लिए उधार सीमाएं नियत की जानी है, यदि उसका ब्याज भुगतान उसके पिछले वर्ष में राजस्व प्राप्तियों का 10 प्रतिशत से कम या उसके बराबर है, जी०एस०डी०पी० का 0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा के लिए भी पात्र होगा।
- (iii) लोचनीयता संबंधी प्रावधानों के अधीन राज्य उपर्युक्त इंगित दो विकल्प प्राप्त कर सकते हैं या तो उपर्युक्त में से कोई एक मानदण्ड पूरा करने पर कोई भी उपर्युक्त विकल्प या दोनों मानदण्डों को पूरा करने पर दोनों विकल्प एक साथ। इस प्रकार किसी दिए गए वर्ष में राज्य को अधिकतम राजकोषीय घाटा जी०एस०डी०पी० के 3.5 प्रतिशत सीमा तक प्राप्त हो सकता है।
- (iv) एक विकल्प या दोनों विकल्पों के अधीन अतिरिक्त सीमा प्राप्त करने के लिए राज्य के पास लोचनीयता तभी उपलब्ध होगी यदि उक्त वर्ष में, जिसमें उधार सीमाएं नियत की जानी है और ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में कोई राजस्व घाटा न हो।
- (2) वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 के बीच वित्तीय वर्ष के दौरान में किसी विशिष्ट वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के सामान्य राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के लिए अपनी स्वीकृत उधार सीमा का पूर्ण रूप से उपयोग करने में सक्षम नहीं होता है तो उसे केवल अगले वर्ष में इस अनुपयोजित उधार राशि (जिसका रूपये में परिकलन किया गया है) को 14वें वित्त आयोग की पंचाट अवधि 2017-18 से 2019-20 के भीतर प्राप्त करने का विकल्प होगा। अनुपयोजित उधार राशि सहित यह राशि जी०एस०डी०पी० के 3.5 प्रतिशत तक सीमित होगी।”

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र खुल्हे,
प्रमुख सचिव।

No. 383/XXXVI(3)/2016/79(1)/2016
Dated Dehradun, December 19, 2016

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'the Uttarakhand Fiscal Responsibility and Budget (Amendment) Bill, 2016' (Adhiniyam Sankhya 40 of 2016).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 15 December, 2016.

THE UTTARAKHAND FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET
(AMENDMENT) ACT, 2016
(Act no. 40 of 2016)

An

Act

Further to amend The Uttarakhand Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 to provide amendment in fiscal targets as recommended by the 14th Finance Commission for application revised roadmap for fiscal consolidation and to make fiscal responsibility and budget management process more transparent and comprehensive.

Be it enacted by the Legislative Assembly in the sixty seventh year of the republic of India as follows :-

1. Short title, Extent and Commencement and extension

(1) This Act may be called The Uttarakhand Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2016.

(2) It shall extend to the whole of the State of Uttarakhand.

(3) It shall come into force on such data as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint in this behalf.

2. Amendment in Section 2 in the Principal Act -

after sub-section (g) of section 2 a new sub section (h) shall be inserted as follows; namely-

“(h) ‘Interest Payment’ means the amount Payable other than refund of principal amount on the internal debt of the State Government from the Central Government and on State provident funds and other liabilities in the public account.”

3. Amendment of Section 4 in the Principal Act -

Clause (c) of sub section (3) of section-4 in the Principal Act, shall be substituted as follows; namely-

“(b)(1) The Fiscal deficit targets and annual borrowing limits for the State during the period 2016-17 to 2019-20 are enunciated as follows :-

- (i) Fiscal deficit of the State will be anchored to an annual limit of 3 percent of GSDP. The State will be eligible for flexibility of 0.25 percent over and above this for any given year for which the borrowing limits are to be fixed if the debt-GSDP Ratio is less than or equal to 25 percent in the preceding year.
- (ii) The State will be further eligible for an additional borrowing limit of 0.25 percent of GSDP in a given year for which the borrowing limits are to be fixed if the interest payments are less than or equal to 10 percent of the revenue receipts in the preceding year.

(iii) The two options under these flexibility provisions can be availed can be availed by the State either separately, if any of the above criterion is fulfilled, or simultaneously if both the above stated criterion are fulfilled. Thus, the State can have a maximum fiscal deficit GSDP limit of 3.5 percent in any given year.

(iv) The flexibility for availing the additional limit under either of the two options or both will be available to the State only if there is no revenue deficit in the year in which borrowing limits are to be fixed and the immediately preceding year.

(2) If the State is not able to fully utilize its sanctioned borrowing limit of 3 percent of GSDP in any particular year during the financial year between 2016-17 to 2018-19 it will have the option of availing this unutilized borrowing amount (calculated in Rs.) only in the following year within the Fourteenth Finance Commission award period of 2017-18 to 2019-20. The amount including unutilized borrowing amount will be limited to 3.5 of GSDP.”

By Order,

RAMESH CHANDRA KHULBE,
Principal Secretary.

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

14वें वित्त आयोग के प्रतिवेदन में राज्यों के राजकोषीय परिवेश एवं राजकोषीय समेकन रोडमैप के अध्याय में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 3 प्रतिशत की वार्षिक सीमा में वृद्धि करने का प्रस्ताव दिया गया है।

2- वित्त आयोग के प्रस्तावानुसार ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात उसके पिछले वित्तीय वर्ष में 25 प्रतिशत से कम या उसके बराबर होने पर 0.25 प्रतिशत की लोचनीयता एवं उदारता के लिए पात्रता बतायी है तथा ब्याज भुगतान उसके पिछले वित्तीय वर्ष में राजस्व प्राप्तियों का 10 प्रतिशत से कम या उसके बराबर होने पर 0.25 प्रतिशत की लोचनीयता एवं उदारता के लिए पात्रता बतायी है।

3- किसी एक साल के लिए राज्य का अधिकतम राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत तक हो सकता है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा अवगत कराया गया है कि जिस वर्ष के लिए उधार सीमाएँ निर्धारित की जानी है, उस वित्तीय वर्ष एवं पिछले वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटा नहीं होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा यह अपेक्षा है कि उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन किया जाय और संशोधित अधिनियम की प्रति उन्हें उपलब्ध करायी जाय।

अतएव, राज्य सरकार उपर्युक्त संशोधन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ का केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यांश राशि देने के लिए उपयोग करेगी जिससे विकास कार्यों में वृद्धि की जा सके और राज्य को विकास के मार्ग पर प्रशस्त करना ही इस विधेयक का उद्देश्य है।

4- विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

